न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–568/2020 (GCMS No. 2020/00593) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मुकेश पुत्र स्व. जैलू आयु 33 साल जाति गुर्जर निवासी बडकी कैलादेवी तहसील व जिला करौली राज.।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली।
2. पटवारी पटवार हल्का लोहर्रा।

..........रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 25.8.2020 उप जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 02/19 उनवानी मुकेश बनाम ग्राम पंचायत लोहर्रा।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री हरेन्द्र कुमार, वकील
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री निरंजन सिंह राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य **दिनांक : 22.03.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपजिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 25.08.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने नामांतरकरण संख्या 546 दिनांक 30.05.1976 में शुद्धिकरण के लिए उपजिला कलक्टर करौली के यहां अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पो. संख्या 2 बावजूद सूचना/तामील अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि भौरया उर्फ भौरा, बलवा व कलवा को दिनांक 08.08.1966 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

13 बीघा 17 विस्वा जमीन आवंटित हुई थी। जिसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। जिन्सी पुत्र भौरया, कलवा पुत्र रामसुखा एवं जैलू पुत्र बलवा का उक्त आवंटित भूमि पर 1/3, 1/3 हिस्सा रहा। भौरया एवं कलवा लाऔलाद फौत हो गये। उनके फौत हो जाने के कारण उक्त विवादित आराजी में बलवा के वारिस हरि, प्रभू तथा हरि के फौत हो जाने पर रामरूप, मोहरसिंह, भगवानसिंह एवं पुत्री मोहर बाई मौजूद है तथा उनका उक्त आराजी पर कब्जा है। जैलू के फौत हो जाने पर मुकेश तथा बचन बाई वारिसान है तथा कब्जा काश्त है। छोटे के फौत हो जाने के कारण रंगलाल, रामभजन और जिन्सी एवं पुत्री रूपबाई मौजूद हैं। अपीलांट ने नामांतरकरण संख्या 546 दिनांक 30.05.1976 में शुद्धिकरण के लिए उपजिला कलक्टर करौली के यहां अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी गई। उपजिला कलक्टर के आदेश की पंक्ति नं. 26 में छोटे नामक व्यक्ति नामांतरकरण के कॉलम नं. 5 में कृषक नहीं रहा है और नामांतरकरण विधिवत है जबकि नामांतरकरण संख्या 205 में छोटे को कृषक एवं खातेदार माना है। सम्वत् 2051 से 2055 तक की जमाबंदी में छोटे पुत्र बलवा का नामांतरकरण खोल दिया गया जिसके वारिसान रंगलाल, रामभजन जिन्सी हैं। रामभजन फौत हो गया। नामांतरकरण संख्या 548 में कांट–छांट की गई है। परिवार राशन कार्ड सं. 773 में परिवार के मुखिया का नाम जिन्सी पुत्र छोटे गुर्जर है। उक्त राशन कार्ड में जिन्सी रंगलाल एवं रामभजन का एक ही परिवार के रूप में भाई होना बताया है। सरपंच ग्राम पंचायत कैलादेवी एवं विकास अधिकारी के मुद्रा सहित हस्ताक्षर है। भवन एवं अन्य सहनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन संख्या वी 35/2015/0005759 में जिन्सी के पिता का नाम छोटे दर्ज है। पंचायत सर्किल की वोटर लिस्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नामावली 1993 के भाग सं. 84 के क्रमांक 469 पर जिन्सी पुत्र छोटे दर्ज है। वर्ष 2009 की क्रम संख्या 191 पर जिन्सी पुत्र छोटे दर्ज है। यह एक लोक दस्तावेज है जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। पी.एम आवास योजना की लिस्ट 2020–21 आर.जे. 19, 21152 में जिन्सी गुर्जर पुत्र छोटे का नाम क्रम संख्या 038 पर दर्ज है एवं मां का नाम छन्नी दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि छोटे बलवा का जायज पुत्र है। इसी प्रकार वर्तमान राशन कार्ड संख्या 200000766921 में जिन्सी लाल पुत्र छोटे गुर्जर दर्ज है। भामाशाह की रसीद संख्या 106, 2 एच.एस 9 19665 की आधार संख्या 494350684205 पर जिन्सी लाल मां का नाम छन्नी एवं पिता का नाम छोटे एवं पत्नि का भोती दर्ज है। रामस्वरूप पुत्र रामहेत उम्र 63 साल जाति मीना, बत्तीलाल पुत्र विशन उम्र 60 वर्ष जाति मीना निवासी बडकी तहसील व जिला करौली ने अपने शपथ पत्र में जिन्सी के पिता का नाम छोटे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

होना माना है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 को निरस्त फरमाकर जिन्सी पुत्र छोटे का नाम जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करें।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि भौरया उर्फ भौरा, बलवा व कलवा को दिनांक 08.08.1966 को 13 बीघा 17 विस्वा जमीन आवंटित हुई थी। जिसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। जिन्सी पुत्र भौरया, कलवा पुत्र रामसुखा एवं जैलू पुत्र बलवा का उक्त आवंटित भूमि पर 1/3, 1/3 हिस्सा रहा। जिसका नामांतरकरण संख्या 546 दिनांक 30.05.1976 स्वीकार हुआ। नामांतरकरण के कॉलम संख्या 5 में भौरया, कलुवा, वलवा पिसरान रामसुखा कौम गुर्जर दर्ज है। नामांतरकरण मृतक भौरया का ही दर्ज होना पाया जाता है। छोटे नामक व्यक्ति का नाम नामांतरकरण के कॉलम संख्या 5 में कृषक दर्ज नहीं होना पाया जाता है। नामांतरकरण संख्या 205 की प्रति के अवलोकन करने पर उस पर अंकित सजरा में भी भोरया का वारिस जिन्सी को ही बताया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय पारित किया गया हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत होने से हमारी राय में उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.08.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/3/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर